



का निर्देश किया। तदनुसार गोपालगढ़ जिला प्रखण्ड  
में जांच रिपोर्ट पैरा की गयी, जिसमें बताया गया  
कि खसला नं. 432/5 की पूर्वी भिजा की तलह  
तलमीगुला ख. नं. 432/2 रकबा 0.2342 है।  
अधिकारी की भूमि है तथा अर्धी व अर्धी के  
बीच की माठ की तलमीग गोला व नसा अर्धी  
सही है। खसला नं. 434/5 की उत्तरी माठ के  
पड़ोसी खसला नं. 432/3, 432/9, 432/8 की  
तलमीग गोला अनुसार सही है, जिनके काल खसला  
नं. 432/5 की तलमीग अर्धी ही सही है,  
परन्तु अर्धी के वग खसला के खातेदारों के  
फ्लोर सही बताया है अतः अर्धी के अर्धीग,  
एवं तदनुसार गोपालगढ़ की जांच रिपोर्ट के आधार  
पर अर्धी का आ.प्र अर्धीग द्वारा 171,196 रु. अ.  
का खारिज किया जाना वृत्तित प्रमाण होता है।  
अर्धी को यदि अपनी भूमि के मौजे पर कत  
होने का खतरे है तो तदनुसार गोपालगढ़ के अर्धीग  
अर्धीग आ.प्र अर्धीग पर सन्तान है अतः अर्धी  
का आ.प्र अर्धीग द्वारा 171,196 रु. अ. का खारिज  
— Evans Centre

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

योग्य होने के खारिज किया जाता है। फलस्वरूप  
पैसा बुझा सकत है। नका के मकदमा  
दाखिल दस्त है। निम्न आज दि. 06/10/24 को  
निय कर देवता के बुझाया गया।

दस्तावेज

6/10/24

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ़ (जोधपुर)